

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक: 03/01/2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2:: राज्य शासन एतद्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल लाईन परियोजनायें) विभाग, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, विकास आयुक्त, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. द्वारा अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा.प्र.से. (1991) अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं महानिदेशक, छ.ग. प्रशासन अकादमी केवल अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।

2/ श्री मनोज कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), अपर मुख्य सचिव, वन विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, अध्यक्ष, व्यापम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3/ श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), महानिदेशक, ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4/ श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव, कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्धपालन, गोठान) विभाग, गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

5/ डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त, सचिव, कृषि (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्धपालन, गोठान) विभाग एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

6/ श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, विमानन विभाग, सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

7/ श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003) सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है।

8/ श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (सी.आई.एम.एस.), बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (सी.आई.एम.एस.), बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

9/ श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004) सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

10/ सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004) सचिव, श्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ श्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

11/ सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

12/ श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

13/ श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005) सचिव, परिवहन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, सचिव, संसदीय कार्य विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, परिवहन विभाग एवं सचिव, समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

14/ श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005) सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।



15/ श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.से. (2005) सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, विमानन, सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त व आयुक्त, पुनर्वास एवं आयुक्त, भू-अभिलेख को केवल सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त व आयुक्त, पुनर्वास एवं आयुक्त, भू-अभिलेख के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है।

16/ श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, वित्त विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति, एवं अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनी को केवल सचिव, ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

17/ श्री पी. दयानंद, भा.प्र.से. (2006), सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अति. प्रभार सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को केवल सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिव, खनिज साधन विभाग, सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट पावर कंपनी, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनायें) विभाग, सचिव, विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

18/ श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

19/ श्री भूवनेश यादव, भा.प्र.से. (2006), सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं आयुक्त, निःशक्तजन, नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

20/ श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

21/ श्रीमती शम्मी आबिदी, भा.प्र.से. (2007), आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, आयुक्त, वक्फ सर्वे, सचिव, कौशल विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

22/ श्री बसवराजू एस., भा.प्र.से. (2007), सचिव, गृह विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, वन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

23/ श्री हिमशिखर गुप्ता, भा.प्र.से. (2007), सचिव, सहकारिता विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग एवं सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

24/ श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

25/ श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007), सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड का अति. प्रभार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, ग्रामोद्योग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, ग्रामोद्योग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

26/ श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), आयुक्त, दुर्ग संभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

27/ श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण के पद पर पदस्थ करता है।

श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य ग्रामीण विकास अभिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

28/ श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. (2008), सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अति. प्रभार, संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (SCERT) एवं मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के पद पर पदस्थ करता है।

श्री राजेश सिंह राणा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

29/ श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है।

30/ श्री सत्यनारायण राठौर, भा.प्र.से. (2008), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है।

✍

31/ श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. (2008), सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, आबकारी आयुक्त, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष एवं लेखा के पद पर पदस्थ करता है।

32/ श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा, भा.प्र.से. (2008), कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

33/ डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

डॉ. प्रियंका शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

34/ श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा अतिरिक्त प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

35/ डॉ. तंबोली अय्याज फकीरभाई, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार नोडल अधिकारी, नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी एवं छ.ग. गोधन न्याय योजना, प्रभारी अधिकारी, माटी पूजन अभियान, तथा सदस्य सचिव, नरवा मिशन, विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, गृह निर्माण मंडल के पद पर पदस्थ करता है।

डॉ. तंबोली, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, गृह निर्माण मंडल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

36/ श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

37/ श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, लोक शिक्षण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।



श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

38/ श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009), अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर तथा अति. प्रभार अपर आयुक्त, सरगुजा संभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर पदस्थ करता है।

39/ श्री बिपिन मांझी, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है।

40/ श्री डोमन सिंह, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

41/ श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

42/ श्री अनुराग पाण्डेय, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सचिव, लोक आयोग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है।

43/ श्री जय प्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (2010), विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), खनिज संसाधन विभाग तथा अति. प्रभार संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

44/ श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, छ.ग. रोड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (CGRIDCL) तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

45/ श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

46/ श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संचालक, भू-अभिलेख तथा अति. प्रभार संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, रजिस्ट्रार,, को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, भू-अभिलेख, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विशेष सचिव, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग, प्रबंध संचालक, मार्कफेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

47/ श्री धर्मेश कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

48/ श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर पदस्थ करता है।



श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

49/ श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पंजीयक, सहकारी समिति के पद पर पदस्थ करते हुए नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

50/ श्री भोसकर विलास संदिपान, भा.प्र.से. (2011), मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है।

51/ श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करता है।

श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

52/ श्री जीवन किशोर ध्रुव, भा.प्र.से. (2011), सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड के पद पर पदस्थ करता है।

श्री जीवन किशोर ध्रुव, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

53/ श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) के पद पर पदस्थ करता है।

श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक श्री रितेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर तथा अति. प्रभार आयुक्त, वाणिज्यिक कर एवं संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केवल आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे। शेष प्रभार यथावत रहेगा।

54/ श्री अभिजीत सिंह, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कांकेर के पद पर पदस्थ करता है।

55/ श्री रणबीर शर्मा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, कृषि विभाग तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी, रायपुर, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है।

56/ श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ करता है।

57/ श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है।



58/ सुश्री इफफत आरा, भा.प्र.से. (2012), प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, संयुक्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रबंध संचालक, मार्कफेड, प्रबंध संचालक, नान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आयुष के पद पर पदस्थ करता है।

सुश्री इफफत आरा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, आयुष के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

59/ सुश्री दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदस्थ करता है।

60/ श्री संजय अग्रवाल, भा.प्र.से. (2012), कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है।

61/ सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. (2013), संचालक, आयुष तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, पेंशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-धमतरी के पद पर पदस्थ करता है।

62/ श्री गौरव कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव, वन विभाग, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।

63/ श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोरबा के पद पर पदस्थ करता है।

64/ श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

65/ श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम एवं संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बालोद के पद पर पदस्थ करता है।

66/ श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पद पर पदस्थ करता है।

श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत के प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

67/ श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, भा.प्र.से. (2013), कलेक्टर, जिला-बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (SCERT) के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

68/ श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ करता है।

69/ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है।

✍

70/ श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-बालोद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पदस्थ करता है।

श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत के प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

71/ श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. (2014), कलेक्टर, जिला-धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है।

72/ श्री डी. राहुल वैकट, भा.प्र.से. (2015), उप सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पद पर पदस्थ करता है।

73/ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, भा.प्र.से. (2016), संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें तथा अतिरिक्त प्रभार प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना, संचालक, कृषि, प्रभारी अधिकारी, युवा मितान क्लब को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कृषि के पद पर पदस्थ करता है।

74/ डॉ. फरिहा आलम, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

75/ श्रीमती रोक्तिमा यादव, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

76/ श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, राजभवन सचिवालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है।

77/ श्रीमती तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, कृषि विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य दुग्ध महासंघ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ करता है।

78/ श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, भा.प्र.से. (2016), मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।


श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत के प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

79/ श्री गोपाल वर्मा, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है।

80/ श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), कलेक्टर, जिला-गरियाबंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ करता है।

- 81/ श्री रोहित व्यास, भा.प्र.से. (2017), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, जिला-दुर्ग तथा अतिरिक्त प्रभार अपर कलेक्टर, जिला-दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सूरजपुर के पद पर पदस्थ करता है।
- 82/ श्री मयंक चतुर्वेदी, भा.प्र.से. (2017), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, स्मार्ट सिटी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ करता है।
- 83/ श्री कुणाल दुदावत, भा.प्र.से. (2017), आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव के पद पर पदस्थ करता है।
- 84/ श्री चंद्रकांत वर्मा, भा.प्र.से. (2017), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटीकला बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के पद पर पदस्थ करता है।
- 85/ श्री देवेश कुमार ध्रुव, भा.प्र.से. (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पद पर पदस्थ करता है।
- 86/ श्री अबिनाश मिश्रा, भा.प्र.से. (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।
- 87/ श्री विश्वदीप, भा.प्र.से. (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है।
- 88/ श्री प्रतीक जैन, भा.प्र.से.(2020), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) के पद पर पदस्थ करता है।
- 89/ श्री मयंक श्रीवास्तव, भा.पु.से. (2006) की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, जनसंपर्क के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(अन्वेष घृतलहरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

नवा रायपुर, दिनांक: 03/01/2024

पृ.क्र.: ई 1-03/2024/एक-2

प्रतिलिपि:-

- संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

2. अनुसंधान अधिकारी (केरियर मैनेजमेंट), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
5. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), छत्तीसगढ़ शासन, संबंधित विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
9. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/दुर्ग, छत्तीसगढ़,
10. आयुक्त, जनसंपर्क,
11. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
13. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
14. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्था./अधी.), मंत्रालय,
16. संबंधित अधिकारीगण/व्यक्तिगत नस्ती/आर्डर बुक,
17. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
18. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
19. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रायपुर की ओर अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग